प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 245 / 2023

अनवान : –

1. करन कान्त शर्मा पुत्र रविकान्त जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर हाल हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. मीना शर्मा पत्नी रविकान्त रविकान्त जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
2. अर्जुन कान्त शर्मा पुत्र रविकान्त जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
3. कुसुम पुत्री हीराराम जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
4. जयदीप पुत्र सुनीता उर्फ संगीता जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
5. चेतना पुत्री सुनीता उर्फ संगीता जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 23.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 156 / 155 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.9170 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1 / 60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के तथा वादी के मृतक बुआ सुनीता पुत्री हीराराम व वादी की मृतक दादी मुन्नी पत्नी हीराराम प्रत्येक के 1 / 20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 82 / 82 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.9190 है0 भूमि में वादी के मृतक पिता रविकान्त, प्रतिवादी संख्या 3 व वादी की मृतक दादी मुन्नी पत्नी हीराराम व वादी की मृतक बुआ सुनीता पुत्री हीराराम प्रत्येक के 1 / 40 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी की बुआ प्रतिवादीया संख्या 3 व बुआ मृतका कुसुम पुत्री हीराराम ने दिनांक 10.06.2015 को अपनी माता निर्मला उर्फ मुन्नी [illegible] मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह अपने भाई रविकान्त [illegible] हीराराम के पक्ष में परित्याग कर दिया था इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 व वादी की मृतक बुआ कुसुम पुत्री हीरा[illegible] इनके वारिसों का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग व वादी के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

रविकान्त के देहान्त के बाद उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 काबिज खातेदार काश्तकार है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोती बड़ी खाता संख्या 82/82 व खाता संख्या 156/155 जमाबंदी सम्वत 2072–2075 प्रदर्श–1 व 2, मृत्यु प्रमाण पत्र मुन्नी देवी प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र रविकान्त प्रदर्श–4, दस्तावेज दस्तबरदारी प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण पत्र संगीता प्रदर्श–6, वारिसनामा संगीता प्रदर्श–7, शपथ पत्र बाबत वारिसा संगीता प्रदर्श–8, ग्राम पंचायत दीपलाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–9, वारिस तस्दीक अनुवाद प्रदर्श–10, शपथ पत्र तस्दीक का अनुवाद प्रदर्श–11 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया उक्त वाद भूमि की कुमुम वादी की भुआ व सुनीता वादी की बहिन द्वारा दस्बरदारी वादी रविकान्त के पक्ष में करवा दी गई है। इनके वारिसों द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 156/155 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.9170 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के तथा वादी के मृतक बुआ सुनीता पुत्री हीराराम व वादी की मृतक दादी मुन्नी पत्नी हीराराम प्रत्येक के 1/20 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 82/82 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल [illegible]90 है0 भूमि में वादी के मृतक पिता रविकान्त, प्रतिवादी संख्या 3 व वादी [illegible] हीराराम व वादी की मृतक बुआ सुनीता पुत्री हीराराम प्रत्येक के 1/40 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक हिराराम के अन्य कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 5 के द्वारा स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 10.06.2025 को कुसुम व सुनीता द्वारा वादी रविकान्त के पक्ष में तहरीर करवाई गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–7 प्रदर्श–9, प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 के अनुसार पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदार के अनुसार अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया द्वारा वादी के वाद के स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 156/155 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.9170 है0 भूमि में वादी की दादी मृतका मुन्नी पत्नी हीराराम वादी की बुआ मृतक सुनीता पुत्री हीराराम व प्रतिवादीया संख्या 3 का नाम कलमलन किया जाकर तथा खाता संख्या 82/82 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.9190 है0 भूमि में वादी के पिता मृतक रविकान्त पुत्र हीराराम वादी की दादी मृतका मुन्नी पत्नी हीराराम वादी की बुआ मृतक सुनीता पुत्री हीराराम व प्रतिवादीया संख्या 3 का नाम कलमलन किया जाकर उपरोक्त दोनो खातों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/5/24 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:10 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 245/2023

अनवान : –

1. करन कान्त शर्मा पुत्र रविकान्त जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर हाल हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. मीना शर्मा पत्नी रविकान्त रविकान्त जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
2. अर्जुन कान्त शर्मा पुत्र रविकान्त जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
3. कुसुम पुत्री हीराराम जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
4. जयदीप पुत्र सुनीता उर्फ संगीता जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
5. चेतना पुत्री सुनीता उर्फ संगीता जाति ब्राह्मण निवासी करोती तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 245 सन 2023 निर्णय दिनांक 23.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 156/155 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.9170 है0 भूमि में वादी की दादी मृतका मुन्नी पत्नी हीराराम वादी की बुआ मृतक सुनीता पुत्री हीराराम व प्रतिवादीया संख्या 3 का नाम कलमलन किया जाकर तथा खाता संख्या 82/82 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.9190 है0 भूमि में वादी के पिता मृतक रविकान्त पुत्र हीराराम वादी की दादी मृतका मुन्नी पत्नी हीराराम वादी की बुआ मृतक सुनीता पुत्री हीराराम व प्रतिवादीया संख्या 3 का नाम कलमलन किया जाकर उपरोक्त दोनो खातों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक...23/5/23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:10 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका